न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2022/3 दायरा दिनांक : 08.03.2022

उनवान

1. ताराचन्द आयु 76 वर्ष पुत्र श्री रामकिशन, जाति माली, निवासी मांगरोल, तहसील मांगरोल, जिला बारां – मृतक
2. बिहारीलाल आयु 73 वर्ष पुत्र श्री रामकिशन, जाति माली, निवासी मांगरोल, तहसील मांगरोल, जिला बारां – मृतक
   2/1. रामेश्वर उम्र 45 वर्ष पुत्र बिहारीलाल, जाति माली, निवासी मांगरोल, तहसील मांगरोल हाल निवासी ग्राम बडौदा, तहसील बडौदा, जिला श्योपुर मध्यप्रदेश
   2/2. तुलसीराम उम्र 30 वर्ष पुत्र बिहारीलाल, जाति माली, निवासी मांगरोल, तहसील मांगरोल हाल निवासी ग्राम बडौदा, तहसील बडौदा, जिला श्योपुर मध्यप्रदेश
   2/3. खूबचन्द उम्र 30 वर्ष पुत्र बिहारीलाल, जाति माली, निवासी मांगरोल, तहसील मांगरोल हाल निवासी ग्राम बडौदा, तहसील बडौदा, जिला श्योपुर मध्यप्रदेश
   2/4. नन्दकिशोर उम्र 26 वर्ष पुत्र बिहारीलाल, जाति माली, निवासी मांगरोल, तहसील मांगरोल हाल निवासी ग्राम बडौदा, तहसील बडौदा, जिला श्योपुर मध्यप्रदेश
   2/5. बादाम बाई उम्र 65 वर्ष पत्नी स्वर्गीय बिहारीलाल, जाति माली, निवासी मांगरोल, तहसील मांगरोल हाल निवासी ग्राम बडौदा, तहसील बदौदा, जिला श्योपुर मध्यप्रदेश
3. भैरूलाल उम्र 62 वर्ष पुत्र रामकिशन, जाति माली, निवासी मांगरोल, तहसील मांगरोल हाल निवासी ग्राम बडौदा, तहसील बडौदा, जिला श्योपुर मध्यप्रदेश
4. खेमराज उम्र 60 वर्ष पुत्र रामकिशन, जाति माली, निवासी मांगरोल, तहसील मांगरोल हाल निवासी ग्राम बडौदा, तहसील बडौदा, जिला श्योपुर मध्यप्रदेश
5. रमाशंकर उम्र 35 वर्ष पुत्र लक्ष्मीनारायण, जाति माली, निवासी मांगरोल, तहसील मांगरोल हाल निवासी ग्राम बडौदा, तहसील बडौदा, जिला श्योपुर मध्यप्रदेश
6. योगेश उम्र 32 वर्ष पुत्र लक्ष्मीनारायण, जाति माली, निवासी मांगरोल, तहसील मांगरोल हाल निवासी ग्राम बडौदा, तहसील बडौदा, जिला श्योपुर मध्यप्रदेश
7. सन्जू बाई उम्र 30 वर्ष पुत्री लक्ष्मीनारायण, जाति माली, निवासी मांगरोल, तहसील मांगरोल हाल निवासी ग्राम बडौदा, तहसील बडौदा, जिला श्योपुर मध्यप्रदेश
8. सूरज्याबाई उम्र 55 वर्ष पत्नी लक्ष्मीनारायण, जाति माली, निवासी मांगरोल, तहसील मांगरोल हाल निवासी ग्राम बडौदा, तहसील बडौदा, जिला श्योपुर मध्यप्रदेश

.... अपीलांट

बनाम

1. भैरूसिंह पुत्र गोविन्द सिंह, जाति राजपूत, निवासी बमूलियाकलां, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा
   1/1. भंवरसिंह उम्र 45 वर्ष पुत्र भैरूसिंह, जाति राजपूत, निवासी वार्ड नं. 14 इटावा, जिला कोटा राज0

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

1/2. धीरेन्द्र प्रताप सिंह उम्र 36 वर्ष पुत्र भैरूसिंह, जाति राजपूत, निवासी वार्ड नं. 14 इटावा, जिला कोटा राज0

1/3. कमलेश कंवर पुत्री भैरूसिंह, जाति राजपूत, निवासी वार्ड नं. 14 इटावा, जिला कोटा राज0

2. महेन्द्र सिंह पुत्र गोविन्द सिंह, जाति राजपूत, निवासी बमूलियाकलां, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा
3. राजेन्द्र सिंह पुत्र गोविन्द सिंह, जाति राजपूत, निवासी बमूलियाकलां, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा
4. संतोष बाई पुत्री गोविन्द सिंह, जाति राजपूत, निवासी बमूलियाकलां, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा
5. राधाबाई पुत्री गोविन्द सिंह, जाति राजपूत, निवासी बमूलियाकलां, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा
6. गुड्डीबाई पुत्री मोहन सिंह, जाति राजपूत, निवासी बमूलियाकलां, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा
7. गोपाल कंवर पुत्री मोहन सिंह, जाति राजपूत, निवासी बमूलियाकलां, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा
8. नाथू सिंह पुत्र गणपत सिंह, जाति राजपूत, निवासी बमूलियाकलां, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा
9. रणजीत सिंह पुत्र गणपत सिंह, जाति राजपूत, निवासी बमूलियाकलां, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा
10. अवतार सिंह पुत्र गणपत सिंह, जाति राजपूत, निवासी बमूलियाकलां, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा
11. कजोडी बाई पुत्री गणपत सिंह, जाति राजपूत, निवासी बमूलियाकलां, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा
12. सूरजबाई पुत्री गणपत सिंह, जाति राजपूत, निवासी बमूलियाकलां, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा
13. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल, तहसील मांगरोल, जिला बारां राज0

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित -- श्री कमलदीप सिंह हाडा अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री महेश प्रकाश गौतम अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1/1 ता 1/3 व 7 की ओर से, शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 03.09.2025

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या – 8/2016 निर्णय दिनांक 07.07.2021 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण अपीलांटगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी कम 1 ता 12 के खाते व कब्जे काश्त की संयुक्त खाता आराजी खसरा नं. 4568 रकबा 5.14 हेक्टर वाके माल मांगरोल, तहसील मांगरोल, जिला बारां में स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल ने अपने निर्णय दिनांक 07.07.2021 से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि निर्णय अधीनस्थ न्यायालय विधि, न्याय एवं संचिका में स्थापित सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीवार सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति व प्रथम दृष्टया मामला का बिना विवेचन किये उक्त निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र राजस्व रिकार्ड देखकर अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंट को स्वतंत्र मालिक व काबिज मानकर निर्णय किया है, निर्णय को देखने से ही लगता है कि न्यायालय ने वन साईड इन्प्रेशन में निर्णय दिया है, जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गई तहरीर बेचाननामा दिनांक 16.05.1945 को बिना ध्यान में लिये निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट व उनके पूर्वज लगातार लगभग 60—70 वर्षो से विवादित आराजी में अपने हिस्से 1/2 पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 07.07.2021 निरस्त किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह विवादित आराजी में स्थित प्रार्थीगण का हिस्सा 1/2 पर किसी प्रकार की दखलान्दाजी न तो स्वयं करें, ना ही अपने प्रतिनिधि से करावे, मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी सितम्बर माह के अन्त में हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस एवं अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि अपीलांट ने अस्थायी निषेधाज्ञा की अपील की थी। दिनांक 16.05.1945 से 1/2 हिस्से पर बेचान की तहरीर के आधार पर अपीलांट काबिज काश्त है। अपीलांट के पिता रामकिशन ने 3000/— रूपये में दक्षिणी हिस्से का बेचान पर काबिज काश्त है। उपकृषक के रूप में हमारा नाम दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय में दावा जैरकार है। अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे। अतः अपील स्वीकार की जावे।

(दीप्ति-रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि वादग्रस्त आराजी का खातेदार भैरू सिंह है। तहरीर के आधार पर अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। खातेदार के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती। 2016 में जो दावा हुआ उसके सन्दर्भ में अस्थायी निषेधाज्ञा मांग रहे हैं। वर्तमान में दावे की स्थिति क्या है यह नहीं बताया है। तहरीर के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती। अतः अपील खारिज की जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण अपीलांटगण द्वारा अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया तथा वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी कम 1 ता 12 के संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं. 4568 रकबा 5.14 हैक्टर वाके ग्राम मांगरोल, तहसील मांगरोल, जिला बारां में स्थित है जिसमें प्रार्थीगण का हिस्सा 1/2 सहखातेदारी में दर्ज राजस्व रेकार्ड है। मुताबिक आपसी सेटलमेंट प्रार्थीगण सम्पूर्ण खाता आराजी के दक्षिणी 1/2 हिस्से पर मुताबिक बेचान तहरीर दिनांक 16. 05.1945 के अनुसार काबिज काश्त रहे है। खाते मे सब टीनेन्ट शब्द लिखा होने से अप्रार्थीगण के मन में बदनियति आने से अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को उनकी हिस्सा आराजी में बेदखल करने के प्रयास में है। जबकि प्रार्थीगण के मृतक पिता रामकिशन से बेचान नामा रूबरू गवाहान तहरीर कर काबिज व दाखिल करवाया था बेचान दक्षिणी हिस्से का किया था, तब से प्रार्थीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रार्थीगण अपनी हिस्सा आराजी का खाता विभाजन, कर्ता पिलाई रास्ता धोरा, नक्शा ट्रेस पृथक करवाने का अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की जाये कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की आराजी ग्राम मांगरोल की खाता संख्या 263 के खसरा नं. 4568 रकबा 5.14 हैक्टर के 1/2 हिस्सा दक्षिणी भूमि पर किसी प्रकार की दखलअदांजी ना तो स्वयं करे और न ही अपने प्रतिनिधि से करावे मौका और रेकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे।

अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थीगण की ओर जवाब प्रार्थना पत्र मय काउण्टर क्लेम पेश कर कथन किया है कि प्रार्थीगण के पिता रामकिशन पुत्र नाथू जाति माली निवासीगण मांगरोल का नाम दौराने सेटलमेंट त्रुटिवश बतौर सबटेनेंट दर्ज हो जाने से प्रार्थीगण के मन में अप्रार्थीगण की जमीन हडपने की नियत से राजस्व कार्मिकों से साठगांठ कर अवैध व

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

अनुचित रूप से सबटीनेन्ट रामकिशन का फौती इंतकाल खुलवा लिया जबकि प्रार्थीगण का उक्त आराजी में किसी भी प्रकार का कोई हिस्सा नहीं है। आज भी अप्रार्थीगण ही उक्त आराजी को काश्त कर रहे हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज फरमाया जाकर काउण्टर क्लेम प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण ने अप्रार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम के परिप्रेक्ष्य में जवाब उल जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण 1/2 हिस्से के सब टीनेन्ट काश्तकार है और शांतिपूर्ण तरीके से काश्त कर रहे है इसलिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रार्थीगण को बेदखल नहीं किया जा सकता अतः जवाब प्रार्थना पत्र व काउण्टर क्लेम खारिज फरमाया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल ने अपने निर्णय दिनांक 07.07.2021 में यह अंकित किया कि अप्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार है। स्वतंत्र मालिक व काबिज है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में मानते हुए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को खारिज किया है।

प्रार्थीगण अपीलांट ने विवादित आराजी के सन्दर्भ में दिनांक 16.05.1945 को सादा कागज पर निष्पादित तहरीर एवं विवादित आरांजी के राजस्व रिकॉर्ड में सबटेनेन्ट के रूप में अपना नाम दर्ज होने के आधार पर विवादित आराजी के रिकॉर्डेड खातेदारान के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। विवादित आराजी में प्रार्थी अपीलांट खातेदारी अधिकारों के विवाद का निस्तारण मूल वाद में किया जाना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विधिक प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी अपीलांट सादा कागज पर निष्पादित तहरीर एवं विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में सबटेनेन्ट के रूप में अपना नाम दर्ज होने के आधार पर रिकॉर्डेड खातेदारों के विरूद्ध विधिवत रूप से अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विधिक प्रावधानों के अनुरूप होने से हम अपील के इस स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.07.2021 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

03/09/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★